TEN RUPEES   TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प उज्जैन म.प्र.

(11)

प्रकरण क्रमांक-   /   / 2009 अपील — 1087-I/09

श्री जीतमल अग्रवाल परिवारिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा प्रमुख प्रबंध नयासी भीमचन्द पिता जीतमलजी अग्रवाल निवासी 145 सुभाषचोक देवास म0प्र0

------------ अपीलान्ट

विरुद्ध

पक्षकार/अभिभाषक श्री एम. एच. कुरैशी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 4.2.09
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन संभाग

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर स्टाम्प्स एवं जिला पंजीयक देवास म.प्र.

2. उप पंजीयक देवास म.प्र. ----------रिस्पाण्डेण्ट

Received Ujjain Camp
29/7/09

अपील अन्तर्गत धारा 47 (क) (5) मुद्रांक अधिनियम

न्यायालय अपर सम्भागायुक्त उज्जैन सम्भाग उज्जैन म.प्र. द्वारा प्र.क्रं.- 27 / 2005 - 06 अपील में दिनांक 8 - 6 - 2009 के आदेश से कलेक्टर स्टाम्प्स देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक- 190 / बी.-105/ 04-05 में पारित आदेश दिनांक 29 - 8 - 2005 के विरुद्ध की गई अपील निरस्त करने से असन्तुष्ट होने से उसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील सादर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

अपीलान्ट की ओर से यह अपील निम्न कारणों एवं अन्य कारणों के आधार पर निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :-

1 (अ) अपीलान्ट का पूरा नाम पिता का नाम व्यवसाय एवं पता :-
श्री जीतमल अग्रवाल परिवारिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा प्रमुख प्रबंध न्यासी भीमचन्द पिता जीतमलजी अग्रवाल नि0 145 सुभाषचोक देवास

(ब) दस्तावेज के निष्पादन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा नाम पिता का नाम व्यवसाय एवं पता :- मेसर्स श्री गंगासागर लेन्ड एन्ड फाइनेंस कम्पनी 57 तुकोगंज देवास भागीदार राजेशकुमार सोनी

(स) दस्तावेज के हर दावेदार का नाम पिता का नाम व्यवसाय एवं पता
श्री जीतमल अग्रवाल परिवारिक पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा प्रमुख प्रबंध न्यासी
श्री भीमचन्द पिता जीतमल जी अग्रवाल नि0 145 सुभाष चोक देवास

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 1087–एक/2009 **जिला–देवास**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.09.2014	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 04–07–2009 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 02–09–2014 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 04–07–09 से 02–09–14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 02–09–2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2009 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । **प्रशासकीय सदस्य**	